पत्रांक : 01/ व'1–05/2004 1382

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत अवस्थित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)/शारीरिक शिक्षा संस्थानों (सी० पी० एड०, बी० पी० एड० सहित) तथा निजी एवं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी० एड०, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षा सहित) में नामांकन प्रक्रिया का निर्धारण ।

1. राज्य सरकार राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं प्रसार हेतु कृतसंकल्प है, तथा अन्य राज्यों की भांति शैक्षिक उन्नयन, विकास एवं प्रसार हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाये गये है।

2. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प संख्या 6/व 1–287/2001–793 दिनांक 17.03.2003 के आलोक में राज्य के चार राजकीय महाविद्यालय, राँची, देवघर, हजारीबाग एवं सा० महिला शि० प्र० महाविद्यालय, बरियातु, राँची में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता के आधार पर शैक्षिक सत्र 2002–2003 के लिए प्रत्येक महाविद्यालयों में 100 छात्र/छात्राओं की नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर (एन० सी० टी० ई०) द्वारा उनके पत्रांक जा० एच० एस० / एन०–7/2001/1924 दिनांक 24.09.2003 के द्वारा सूचित किया गया है कि एक बार मान्यता मिलने के बाद एन० सी० टी० ई० द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की मान्यता आगे भी जारी रहेगी।"

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना संख्या फा० सं० 9–18/2002 सा० अ० शि० प०, दिनांक 13.11.2002 एवं फा० फ० सं० 48–6/2003 सा० अ० शि० प० (एन० ई० सी०) दिनांक 6.6.2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के चारो बी० एड० प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु नामांकन प्रारंभ के साथ ही राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय /जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)/शारीरिक शिक्षा संस्थानों (सी० पी० एड० /बी० पी० एड सहित) तथा एन० सी० टी० ई० द्वारा मान्यता प्राप्त निजी एवं अल्पसंख्यक

यहाँ निर्धारित तिथि तक जमा होगा। नामांकन के समय सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से 3,000 (तीन हजार रूपये) तथा अ० जाति/अ० जन जाति के उम्मीदवारों से 1,000 (एक हजार) लिया जाएगा। इसी तरह परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने के समय सामान्य कोटि के उम्मीदवारो से पुनः 1,500 (एक हजार पाँच सौ रूपये) लिए जाएगे एवं एस टी/एस सी के उम्मीदवारो से 500 (पाँच सौ रूपये) लिये जाएगें।

इसके अतिरिक्त सभी कोटि के नामांकित उम्मीदवारों से प्रतिमाह निम्नांकित शुल्क लिए जाएगे।

(क) छात्र कोष –

	(i) क्रीड़ा	–	100.00 (प्रति माह)
	(ii) कामन रूम	–	100.00 (प्रति माह)
	~~(iii) विद्युत प्रभार एवं अन्य व्यय~~	~~–~~	~~100.00 (प्रति माह)~~
(ख)	शिक्षण शुल्क	–	200.00 (प्रति माह)
	कुल	–	500.00 (पाँच सौ रूपये)
(ग)	महाविद्यालय विकास कोष	–	1,000.00 (प्रशिक्षण अवधि में एक बार)

नामांकित उम्मीदवारो से प्राप्त राशि संबंधित महाविद्यालयों/डायट के प्राचार्य/प्राचार्या के पदनाम से बैंक खाते में जमा रहेगी तथा जिन मदो के लिए राशि ली जा रही है उसी मद में व्यय नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जायेगा। विकास कोष एवं छात्र कोष की राशि के व्यय के लिए महाविद्यालय में एक प्रबन्ध समिति निम्न रूपेण गठित होगी –

प्राचार्य / प्राचार्या	–	अध्यक्ष
~~संबंधित जिला-शिक्षा-पदाधिकारी / जिला-शिक्षा-अधीक्षक~~	~~–~~	~~सदस्य~~
वरीयतम व्याख्याता	–	सदस्य
प्रशिक्षणार्थी प्रतिनिधि	–	सदस्य

प्रवेश शुल्क एवं मासिक शिक्षण शुल्क की राशि चलान द्वारा 2202 सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत कोषागार में प्राचार्य के द्वारा प्रतिमाह जमा की जाएगी।

सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एन० सी० टी० ई० द्वारा मान्यता प्राप्त निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क का निर्धारण का कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य के निजी तकनीकी संस्थानों में विज्ञान

Scanned by CamScanner

होगी। मेरिट लिस्ट और प्रतीक्षक सूची यथा उपरोक्त संकायों के आधार पर अलग-अलग तैयार की जाएगी तथा नामांकन के कॉल लेटर मेरिट के आधार पर भेजे जाएगें। इसके लिए आवेदन अपने आवेदन पत्र के साथ एक 23 x 10 सी0 एम0 के लिफाफे पर अपना पत्राचार का पता निबंधन मूल्य के रटाम्प के साथ संलग्न करेगें।

नामांकन के समय जो उम्मीदवार प्राप्त योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र को मूल प्रति समर्पित नहीं कर सकेगें, वे इस आशय का वैधिक शपथ पत्र दाखिल करेगें कि नामांकन की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर वे मूल प्रति प्रस्तुत कर देगें अन्यथा उनका औपबंधिक नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा।

जिला प्रशिक्षण महाविद्यालय में चयनित उम्मीदवार का नामांकन होगा। उन्हें उसी महाविद्यालय में प्रशिक्षण पूरा करना होगा। किसी भी परिस्थिति में उनका स्थानान्तरण किसी अन्य महाविद्यालय में नहीं होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इसे झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराया जाए।

2. यह संकल्प तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अशोक कुमार सिंह)

आयुक्त एवं सचिव
प्रा0 शि0 एवं उच्च शिक्षा विभाग
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक 01/91-05/2004 1952 दिनांक : 20/5/04

प्रतिलिपि :- अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उससे अनुरोध है कि इसकी पाँच सौ अतिरिक्त प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार सिंह)

आयुक्त एवं सचिव
प्रा0 शि0 एवं उच्च शिक्षा विभाग
झारखण्ड, राँची